

# विवाह

के आदर्श और सिद्धान्त



-श्रीराम शर्मा आचार्य

# विवाहों के आदर्श और सिद्धांत

आदर्श विवाहों के लिए यह आवश्यक है कि उनका निश्चय एवं निर्धारण आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर किया जाय । केवल रीति-रस्म तो सुधरे हुये ढंग से कर ली जायें और उस सम्बन्ध को निश्चय करने में गलत दृष्टिकोण को मान्यता दी जाये, ऐसा नहीं होना चाहिए । रस्म का उतना महत्व नहीं जितना उसके मूल आधार का, इसलिए उसके सम्बन्ध में भी हमें अपनी मान्यतायें परिमार्जित करलेनी चाहिए और उसी आधार पर जहाँ उपयुक्तता हो वहाँ सम्बन्ध निश्चित करना चाहिए ।

## शारीरिक परिपूर्वकता

आदर्श विवाहों के लिए यह आवश्यक है कि वह कन्या गृहस्थ का उत्तरदायित्व संभालने योग्य हो गई हो । कन्या की आयु १८ वर्ष और वर की आयु २९ वर्ष से कम तो किसी प्रकार नहीं होना चाहिए, यह तो न्यूनतम आयु है । वस्तुतः इससे अधिक आयु होने पर ही बालकों का शरीर गृहस्थ का उत्तरदायित्व संभालने योग्य होता है । शरीर शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की योग्यता लड़की को २९ वर्ष की आयु में और लड़के को २५ वर्ष की आयु में प्राप्त होती है ।

वयस्क बच्चे ही विवाह योग्य होते हैं, छोटी आयु के बालक विवाह बन्धन में बैंधकर अपना शारीरिक और मानसिक नाश ही करते हैं । उनकी सन्ताने दुर्बल होती हैं और स्वयं भी कच्ची अवधि में शक्तियों का समुचित संचय न होने से पूर्व उनको खर्च करने लगने से खोखला बन जाते हैं । उनके शरीर धीरे-धीरे अनेक रोगों से ग्रसित रहने लगते हैं और अल्प आयु में ही जीवन लीला समाप्त करने को विवश होते हैं । छोटी आयु में उनका समुचित शारीरिक-मानसिक विकास होने से पूर्व विवाह कर देना एक प्रकार से उनके साथ

अत्याचार करना है। विवेकवान् अभिभावकों को ऐसी भूल कदापि नहीं करनी चाहिए।

सरकारी कानून भी बाल विवाह का विरोधी है। उसे एक प्रकार का दण्डनीय अपराध माना गया है। ३८ वर्ष से कम लड़की और २१ वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह होने पर उसका आयोजन करने वाले और अभिभावकों को जेल हो सकती है। सरकारी दण्ड से किसी प्रकार बचा भी जा सकता है पर प्रकृति तथा ईश्वर के नियमों से किसी को छुटकारा नहीं। कच्ची आयु में बालक गृहस्थ का बोझ असमय में ही उठावें तो उन्हें हर दृष्टि से घाटा रहेगा। अभिभावकों को इस सम्बन्ध में तनिक भी उतावली नहीं करनी चाहिए। बालकों को अधिकाधिक पढ़ाना चाहिए। जब तक उनकी शिक्षा पूरी न हो जाय विवाह की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। विद्यालय्यन के सन्दर्भ में लड़की-लड़के कितनी ही अधिक आयु के क्यों न हो जायें चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

### समान जोड़े ढूँढ़ें

गुण, कर्म स्वभाव की दृष्टि से, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उपयुक्त जोड़े ही ढूँढ़ने चाहिए। अनमेल विवाह दुःखदायक सिद्ध होते हैं। बच्चों की अभिरुचि और आकांक्षा का ध्यान रखते हुए उनका जोड़ा चुना जाय। स्वप की अपेक्षा गुणों को प्रधानता दी जाय। लड़कियों घनी घरों में ही दी जायें यह दृष्टिकोण छोड़कर अब सुयोग्य लड़के ढूँढ़ने की बात ध्यान में रखनी चाहिए। घन का स्थायित्व पहले भी कम था, पर अब तो उसका मूल्य, महत्व एवं स्थायित्व बुरी तरह गिर रहा है। घनी घर के अयोग्य लड़कों की अपेक्षा गरीब घर के सुयोग्य बच्चे हर दृष्टि से अच्छे रहते हैं। लड़की की जिन्दगी किसी परिवार की सम्पन्नता के आधार पर नहीं,

लड़के की सुयोग्यता के आधार पर ही सुखी हो सकती है । इसलिए सम्मता पर नहीं, लड़के की प्रतिभा एवं सज्जनता पर ही विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । लड़की की योग्यता अयोग्यता के अनुसूप ही लड़के दृढ़े जाँचे । घन के प्रलोभन से अयोग्य कन्याओं को सुयोग्य लड़कों के साथ बौधने में सफलता मिल भी जाय तो भी कह एक तरह की असफलता ही मानी जायगी, ऐसे जोड़े कम ही सुखी रह पाते हैं ।

यथा सम्मव विवाह निश्चित करने से पूर्व वर कन्या को एक दूसरे के विषय में जानकारी दे देनी चाहिए, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहमति भी लेनी चाहिए उनकी इच्छा के विपरीत सम्बन्ध कदाचि न किये जायें । दहेज आदि की कठिनाइयों के कारण कई बार लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं और उपयुक्त लड़के नहीं मिलते । ऐसी दशा में अधिक आयु के वर ढूँढ़ लिये जाते हैं । कई बार तो वे ढलती आयु के भी होते हैं । ऐसे सम्बन्ध सर्वथा हेय हैं । विषुर व्यक्तियों के विवाह यदि आवश्यक ही हों तो विधवाओं के साथ किये जाने चाहिए । जो नियम स्त्री के लिए है वही पुरुष के लिए भी होना चाहिए, विधवा और विषुरों की नैतिक धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति एक समान है । प्रतिबन्ध और सुविधा दोनों को समान होनी चाहिए । यदि विधवा होने पर स्त्री का विवाह अनुचित है तो वैसा ही प्रतिबन्ध विषुरों पर भी रहना चाहिए । यदि विषुरों को दूसरा विवाह करने की छूट है तो वैसी ही छूट विधवाओं के लिए भी रहनी चाहिए । न्याय सब को समान मिलना चाहिए । बन्धन सब पर समान रहने चाहिए । बेचारी नारी दुर्बल है, असहाय पराधीन है, इसलिए उस पर कठोर प्रतिबन्ध रहें और पुरुष चूँकि समर्थ हैं इसलिए उसे अतिरिक्त सुविधा मिले यह किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं होगा ?

### न्याय का हनन न हो

न्याय की तुला सबके लिए समान रहनी चाहिए । नर और नस्ती विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

ईस्कर की दो भुजायें हैं, दो औँखें हैं । उसने दोनों को समान बनाया है और समान अधिकार दिये हैं । नर नारी के बीच जो लिंग भेद है उसका अर्थ दोनों की अपूर्णता को मिलने पर एक संयुक्त पूर्णता बनाने की कलात्मक व्यवस्था मात्र है । इससे उनके सामाजिक एवं मानवीय अधिकारों में कोई अन्तर नहीं आता । विवाह का निश्चय करते समय इस तथ्य को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी पश्च के साथ अन्याय न होने पावे । अधिक आयु के पुरुष जिनकी पत्नी छोटे बच्चे छोड़कर मरी है, उन्हें यदि विवाह आवश्यक ही हो तो अपनी जोड़ी की विष्वा तलाश करनी चाहिए, निस्सन्तान विषुर निस्संतान विष्वाओं से और सन्तान वाले पुरुष सन्तान वाली विष्वाओं से विवाह करें तो और भी न्यायोचित होगा । यदि पुरुष की पिछली सन्तान को नई पत्नी पालन कर सकती है तो सन्तान वाली विष्वा के बच्चों का पालन उसके दूसरे पति को क्यों नहीं करना चाहिए ?

विशेषाधिकार भोगने सबको अच्छे लगते हैं । अतिरिक्त सुविधायें जिन्हें मिली हुई हैं उन्हें छोड़ते हुए बुरा लगता है । यही बात विषुर पुरुषों के विवाह के सम्बन्धों में भी है, वे स्वभावतः कुमारी कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं । यह न्यायोचित नहीं । आयु में अधिक अन्तर होने से वधु के विष्वा होने का खतरा स्पष्ट है । उसकी छोटी सन्तानों को इसका दुःख आमतौर से भोगना पड़ता है । वैष्व का जीवन आज के दिनों में कितना कष्टमय होता है, इसे कौन नहीं जानता । यह उचित नहीं कि कोई पुरुष अपनी सुविधा के लिए अपनी भावी पत्नी को वैष्व की आग में झोक देने और उसे अनाथ बनाकर छोड़ जाने की तैयारी करे । ऐसे अनीति पूर्ण आधार पर स्थापित किया गया दार्ढ्र्य जीवन कभी सुख-शान्तिमय नहीं हो सकता, इसका प्रत्यक्ष अनुभव इस प्रकार के अधिकांश विवाहों के परिणाम को देख कर भली प्रकार ज़ना जा सकता है । स्त्री यह निरन्तर अनुभव विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

करती रहती है कि उसके साथ अत्याचार हुआ । उस अत्याचार को भले ही वह विकल्प में सहन करती रहे पर भीतर ही भीतर उसके मन में प्रतिहिंसा की आग जलती रहती है, फलस्वरूप ऐसे विवाह कभी सफल नहीं हो सकते ।

## विधुर और विधवाओं की समस्या

आदर्श विवाहों का आयोजन करने से पूर्व यह बात भली प्रकार देख ली जानी चाहिए कि जोड़ा ठीक मिला या नहीं । यदि जोड़ी गलत ढंग से मिलाई गई है तो फिर संस्कार को सुधरे हुए ढंग से कर देने का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता । हमें पूरा ध्यान उपयुक्त जोड़े मिलाने पर देना चाहिए । विषुरों के कुंवारियों के साथ विवाह होने की प्रचलित परिपाटी के कारण हिन्दू समाज में विधवाओं और अनाथों की संख्या बेतरह बढ़ती चली जा रही है, इन विधवाओं की जो दयनीय दुर्दशा होती है वह किसी से छिपी नहीं । परिवारों में जो स्वार्थ संघर्ष चल रहे हैं उसमें किसी स्त्री के विधवा होते ही उसके कुटुम्बी यह प्रयत्न करते हैं कि उसके पति की सम्पत्ति के बे संरक्षक बनकर हड्डप लें और उसे दाने—दाने को मुँहताज बनादें । फिर देवारी विधवायें समाज में पग—पग पर तिरस्कृत जीवन व्यतीत करती हैं, उनका किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होना अशुभ माना जाता है । परिवार वाले उसे अभागिन, पापिन मानते हैं, और समय—समय पर तिरस्कृत फदलित करने में चूकते नहीं । उनके असहाय, अनाथ बच्चे भी तिरस्कृत जीवन औ अन्याय सहन करते हुए व्यतीत करते हैं । इनका प्रभाव उनके मन को आजीवन छोटा बनाये रहता है ।

विधवाओं की अन्यायपूर्ण बृद्धि बंद की जानी चाहिए । अनाथों की संख्या से हिन्दू जाति को भर देने की प्रचलित कुप्रथा को रोकना चाहिए । यह न्याय की पुकार है । मानवीय अधिकारों का प्रश्न है । परिपाटी जो भी हो यदि वह मानवता और नैतिकता के आदर्शों विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त ।

के विपरीत है तो उसे बदला ही जाना चाहिए । अब समय आगया है कि विवाह सम्बन्ध निश्चित करने से पूर्व विष्वा विष्वर की बात को ध्यान में रखें । कृद्ध विवाहों को, अनमेल विवाहों को रोकें । लड़कियों में ऐसा साहस उत्पन्न किया जाना चाहिए कि उन्हें विषुरों के साथ विवाह जा रहा हो तो इसे अनीति मानकर उस बन्धन में बँधने से इंकार कर दें । सामाजिक कार्य कर्त्ताओं को इस प्रकार के अवसरों पर प्रतिरोध करना चाहिए । कानूनी बन्धन भले ही न हों पर न्याय की पुकार तो सबसे बड़ी है । उसकी महत्ता सरकारी नियमों और प्रचलित परम्पराओं की तुलना में असंख्य गुनी अधिक है । अनीति का हर जगह हर पहलू से विरोध होना चाहिए, फिर चाहे कह विवाह के नाम पर ही क्यों न की जा रही हो ।

### दुष्परिणामों का ध्यान रखा जाय

कुमारियों के विवाह विषुरों के साथ हो न सकेंगे तभी यह सम्भव होगा कि पुरुष वर्ग नये सिरे से विचार करे और विष्वाओं के विवाहों की आवश्यकता अनुभव करे । आज तो करोड़ों विष्वायें प्रचलित प्रतिबन्धों के कारण उत्पीड़न भरा जीवन जीती हुई निरन्तर औंसू पीती रहती है । इनका अभिशाप हिन्दू समाज को गलित कुष्ठ के रोगी की तरह दिन-दिन नष्ट-प्रष्ट करता चला जा रहा है ।

यह प्रश्न उपेष्ठणीय नहीं, क्योंकि विवाहों में से पाँच पीछे एक विवाह विष्वर का होता है और उसमें आयु की दृष्टि से इतना अन्तर होता है कि वैष्वव्य की सम्मानना स्पष्ट रूप से सामने खड़ी रहती है । संयोगवस्त्र होने वाले वैष्वव्य ही क्या कम हैं जो जान बूझकर स्त्री बच्चों की दुर्दशा के यह आयोजन गाजे बाजे के साथ किये जाते रहें ।

विष्वा विवाह पर सर्वांग हिन्दुओं में जो प्रतिबन्ध प्रचिलित है उसके पीछे न कोई धार्मिक आधार है न नैतिक । हम अलग से एक पुस्तक लिखकर उन शास्त्रीय प्रमाणों को प्रकाशित करेंगे जिनके

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

अनुसार विष्वा विवाह पर शास्त्रीय दृष्टि से भी कुछ प्रतिबन्ध नहीं है। वरन् उसका खुला समर्थन किया गया है। जिन विषुरों को विवाह आवश्यक प्रतीत होता हो, उन्हें धर्म मर्यादाओं के उल्लंघन वाली बात मन में से निकाल देनी चाहिए। इसी प्रकार जिनकी विष्वा लड़कियाँ विवाह योग्य हैं उन्हें बिना किसी झिझक, संकोच, के उनका विवाह कर देना चाहिए। इसमें शास्त्र, न्याय, धर्म आदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं। बाधा केवल प्रचलित रीति रिवाजों की है, जिनमें सुधार करना ही होगा। वर्तमान अन्येरगदी तो अब अधिक दिनों चलने वाली है नहीं।

यह आवश्यकता और इच्छा का प्रश्न है कि विष्वा-विषुर विवाह हों या नहीं। यह लोगों की सुविधा का प्रश्न है। हमें जोर इस बात पर देना है कि कन्याओं के साथ अनीतियुक्त व्यवहार न होने पावे उन्हें कुमार वरों के साथ ही विवाह जाना चाहिए। आयु की दृष्टि से उनके बीच थोड़ा ही अन्तर रहना चाहिए बहुत अधिक नहीं।

### बाल विवाह सर्वथा अनुपयुक्त

बाल विवाहों के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि वे प्रत्येक दृष्टि से अनुचित हैं। कौतुक प्रिय अभिभावक अपने बच्चों का जल्दी विवाह कर जल्दी विवाह की जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और जल्दी विवाहोत्सव देखने का आनन्द लेना चाहते हैं, तो यह उनकी बच्चों जैसी अधीरता ही मानी जायगी। पिछड़े हुए लोगों में यह प्रथा अभी भी बहुत है। गोदी में खेलने वाले दुष्प्रभुहि बच्चों तक के हजारों विवाह इस देश में होते हैं। शहरी शिक्षित वर्ग में परिपक्व आयु के बच्चों के विवाह होने लगे हैं, पर भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। कहाँ शिक्षा का प्रकाश भी कम ही पहुँचा है। वहाँ के पिछड़े वर्ग में ऐसी कुरीतियाँ अलग ही विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

चलती है। इस दुर्भाग्य पूर्ण अन्धकार में बाल विवाह के नाम पर असंख्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक सर्वनाश के आयोजन होते रहते हैं। इस अज्ञान एवं अनौचित्य को रोका ही जाना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे इस प्रकार का खिलवाड़ रुक सके।

मध्य काल में जिन दिनों विघ्मी आतताइयों का भारत पर शासन था और वे किसी भी सुन्दर लड़की का बलात् अपहरण करले जाते थे, उस आपत्ति काल में समाज के बुद्धिमान लोगों ने आपत्ति धर्म के स्पष्ट में बाल विवाह का प्रचलन किया था। शीघ्र बोध जैसी सामान्य पुस्तकों में ऐसे श्लोक भी लिख दिये गये थे, जिनके अनुसार आठ दस वर्ष तक के बच्चों का विवाह उचित ठहरा दिया गया था। समय के अनुस्पष्ट यह व्यवस्था उत्तम थी, और अपने समय में इस व्यवस्था ने धर्म रक्षा में बड़ा योग भी दिया। अतएव उस सामयिक सूझ बूझ की प्रशंसा ही करनी चाहिए। पर अब वैसी परिस्थितियों नहीं रहीं। अब अपनी बहन, बेटियों के अपहरण का कोई खतरा नहीं, ऐसी दशा में उस आपत्ति धर्म को अपनाये रहने की कोई आवश्यकता नहीं। बुखार चला जाय तो भी कुनैन का इन्जेक्शन लेते रहने की कोई उपयोगिता नहीं। जो लोग धर्म समझकर छोटी बच्चियों का विवाह करते जाते हैं वे भारी भ्रूल करते हैं। भारतीय धर्म में क्यस्कु युवक-युवतियों के विवाह का ही विधान है, उसमें छोटे बच्चों की शादी कर डालने की कहीं कल्पना भी नहीं है। इस खिलवाड़ को धर्म मानने का तो कोई प्रभन ही नहीं उठता।

### अनमेल विवाह न होने पावें

कुमारी लड़कियों को वृद्धों के हाथों बेचे जाने में कई बार तो धन के लोधी कन्या मौस विक्रेता हृदय हीनों की दुर्बुद्धि भी काम करती है। जिन्हें लालच के आगे दीन धर्म, न्याय, अन्याय कुछ भी

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

नहीं सूझता वे लालच के आगे कशीभूत होकर अपनी माँ, बहिन, पत्नी, लड़की, धर्म, ईमान, न्याय, नीति सब कुछ बेच सकते हैं। ऐसे नर पशुओं की गति-विधियों समाज का बाताकरण विशेषता करती है। इसलिए उनका कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए। कई बार तो दस-दस बारह-बारह वर्ष की बच्चियों के विवाह पचास-पचास साठ-साठ वर्ष के बूढ़ों तक के साथ होते देखे गये हैं। इन नरमेष्यों से 'विवाह' शब्द भी कलंकित होता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों की तरह इन्हें भी रोकने का प्रयत्न किया जाय। यद्यपि ऐसी घटनायें कम ही होती हैं पर सारे समाज में एक भी ऐसा अपराध होना असहा हो जाना चाहिए।

कन्या-किळय की दुष्ट-वृद्धि से वृद्ध विवाह कम ही होते हैं। फिर भी उनकी बहुत बड़ी संख्या जो देखने में आती है, उसका क्षयण अभिभावकों की दहेज सम्बन्धी मजबूरी होती है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से दहेज की लम्बी चौड़ी मौर्गि पुरा कर सकना एक सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए कठिन होता है। वह कन्या के उपयुक्त वर ढूँढ़ता रहता है एक जगह सफलता नहीं मिलती तो दूसरी जगह, दूसरी जगह व्यवस्था न बनने पर तीसरी जगह ढूँढ़ता है। इस प्रकार तलाश करने में दिन बीतते रहते हैं और लड़कियों बड़ी होती रहती हैं। धीरे-धीरे वे काफी बड़ी हो जाती हैं। जबकि समाज की प्रचलित परम्पराओं में आमतौर से बीस वर्ष के भीतर लड़कियों के विवाह हो जाते हैं। लड़कियों की आयु कुछ ही बड़ी हो रही तो उससे छोटी आयु का तो क्या बराबरी का लड़का भी मिल सकना कठिन हो जाता है।

### वर-वधु में आयु का अन्तर

प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लड़के से लड़की को कई वर्ष का छोटा होना आवश्यक है। बराबर की या बड़ी लड़की से विवाह विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

करना बुरा माना जाता है। पुरुष स्त्री पर समुचित शासन कर सके यह बात आयु में छोटे रहने पर ही ठीक तरह बनती है। इसलिए रिवाज यही है कि वधु कर से कई कर्ष छोटी हो। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर लड़के तलाश करते-करते जिनकी लड़कियों बाइस-चौबीस कर्ष के लगभग आ पहुँची, उनके लिए अब आर्थिक संकट का ही नहीं, बड़ी आयु का लड़का मिलने का भी प्रश्न सामने आ खड़ा होता है और गुत्थी दुहरी उलझ जाती है। कन्या को कुँवारी रखना कोई पसन्द नहीं करता। उसका विवाह होना चाहिए, फिर चाहे वह बड़ी पीपल के साथ ही क्यों न हो, इस मजबूरी में भी अनेक बार सयानी लड़कियों का विवाह ढलती आयु के वयोवृद्धों या विषुरों के साथ करना पड़ता है। अधिकांश वृद्ध विवाह इस आधार पर होते देखे गये हैं। लड़की अभिभावकों के मन में कन्या विक्रय जैसी दुर्बुद्धि रत्ती भर नहीं होती। जो बन पड़ता है, सो देते ही है। ऐसा विवाह करने की मजबूरी पर दुःख तथा लज्जा भी अनुभव करते हैं, पर उन्हें और कोई मार्ग नहीं दीखता। जब सारे द्वार बन्द दीखते हैं तो विवशता में उन्हें यही करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

इस दुहरी आपत्ति का मुकाबिला दुहरे साहस के साथ किया जाना चाहिए, दहेज की कुरीति का उन्मूलन करने के साथ-साथ ऐसी विकल्पाओं का हल निकालने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में यह सुधार भी करना चाहिए कि लड़के से लड़की योड़ी बड़ी भी हो तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। आमतौर से वर बड़ा और वधु छोटी होती है। इस छोटे बड़े होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव दायर्य जीवन पर नहीं पड़ता। फिर यदि वधु योड़ी बड़ी है और वर कुछ कर्ष छोटा हो तो इससे क्या आपत्ति आ सकती है? वर वधु पर शासन करे यह इच्छा एक तो वैसे ही सामन्त वादी है, फिर उसकी आयु के कुछ कर्ष छोटे-बड़े होने से कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो प्रतिभा और गुणों का प्रश्न

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

है। फिर पति-पत्नी तो दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। किसी को किसी पर ज्ञासन नहीं करना है। कोई किसी को दबाकर रखने की इच्छा क्यों रखे? दोनों प्रेम, सद्भाव और विचार विनिमय पूर्वक ही अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाते हैं। उनमें किसी का कुछ वर्ष छोटा बड़ा होना भी बाधक नहीं हो सकता।

## सहदयता और उदारता की आवश्यकता

जहाँ कन्या के अभिभावकों को उस दूसरी मजबूरी में फँसा देखा जाय कहाँ सहदय, उदार एवं विचार शील लोगों को दुहरी सहानुभूति करनी चाहिए। साहसी अभिभावक एवं साहसी नव युवक ऐसे विवाह स्वीकार करलें। इससे उस लड़की को बूढ़े के साथ विवाह जाने से बचाया जा सकेगा। वृद्ध विवाह का, अनमेल विवाह का मौखिक विरोध करने से काम न चलेगा। उसका व्यावहारिक हल भी सोचना पड़ेगा। लड़की सयानी हो जाने के कारण जहाँ दूसरी मजबूरी आ खड़ी हुई है, कहाँ तो वृद्ध विवाह रोकने का एक ही तरीका है कि उनके सामने दूसरा विकल्प प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा विरोध निरर्थक है। जब रास्ता कोई दूसरा है नहीं तो आखिर हो क्या? ऐसी लड़कियाँ आजीवन कुमारी रहने का निष्चय कर सकती हैं। पर उनमें से कोई विली ही ऐसा साहस कर पावेंगी। अभिभावकों के सामने इस तरह के प्रसंगों पर कुछ कह सकने की हिम्मत लड़कियों को कहाँ होती है? भीतर ही भीतर वे भले कुछती रहें बाहर तो एक भी शब्द मुँह से नहीं निकाल पातीं। घरवाले जो करें कही उन्हें मानना पड़ता है। ऐसी दशा में उन आदर्शवादी व्यक्तियों पर दुहरा उत्तरदायित्व आता है। उन्हें यदि ऐसी बच्चियों को बूढ़ों के गले मढ़े जाने में कुछ दर्द होता हो तो उसके लिए कुछ त्याग करना चाहिए और वर से बड़ी वधु न हो—इस मान्यता की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो दहेज न लेने जैसा विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

साहस कर सकते हैं, उनसे इस प्रकार से दूने साहस की अपेक्षा भी की जा सकती है। बचन शूर न रहकर जो कर्मबीर बन सके उन्हीं की आदर्शवादिता सच्ची एवं स्वाहनीय मानी जा सकती है।

## एक विचारणीय विकल्प

सुशिक्षित लड़कियों के सामने यह प्रश्न और भी उग्र रूप से आता है। ग्रेजुएट बनते-बनते उनकी आयु बढ़ी हो जाती है। दो चार वर्ष लड़के दूढ़ने में और लगे, पर सफलता न मिली तो आयु अद्वाईस-तीस के करीब जा पहुँचती है। बिना पढ़ी लड़कियों के लिए बिना पढ़े लड़के कम दहेज में भी मिल जाते हैं, यदि उससे अधिक शिक्षित और सुयोग्य लड़के चाहिए तो ऐसी जगह दहेज की दूनी-चौगुनी ही मौंग होती है। जिन अभिभावकों के लिए सामान्य स्तर का विवाह करना भी कठिन है, वे इन सुशिक्षित लोगों की धन की मौंग कहाँ से पूरी करें? कन्या की पढ़ाई तो किसी प्रकार पूरी करा दी, अब विवाह के लिए इतना खर्च कहाँ से आवे। फिर उनसे बड़े कुमार लड़के कहाँ से मिलें? इस दुहरी समस्या में उलझी हुई लड़कियों को अध्यापिका आदि की नौकरी करते हुए आजीवन कुँवारी रहने को विकल्प होना पड़ता है। ऐसी लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या हमारी जानकारी में है, जिन्हें स्वेच्छा से नहीं मजबूरी से कुँवारी बनने के लिए विकल्प होना पड़ रहा है।

इस उलझन को हल करने में जहाँ सहदय सुधार वादी युवकों को त्याग एवं साहस प्रदर्शित करना आवश्यक है, वहाँ इन लड़कियों को भी साहसी और त्यागी बनना चाहिए। वे अपने से कुछ कम आयु के और कुछ कम पड़े लिखे लड़के आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। जिस प्रकार सुयोग्य पति का लाभ अयोग्य पत्नी उठाती है, उसी प्रकार इस बात में क्यों अड़चन होनी चाहिए कि सुयोग्य पत्नी का लाभ उससे कम योग्यता वाला पति उठावे? सुशिक्षित वधु अपने पति

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

की शिक्षा सम्बन्धी कमी को आसानी से पूरा कर सकती है। उसी प्रकार यदि वह कुछ कम कमाता है तो स्वयं अधिक पेसे की नौकरी द्वारा परिवार का खर्च चलाने में सहयोग कर सकती है।

पुरुष जाति द्वारा प्रचलित की गई स्वार्थपूर्ण मान्यता का शिकार कम से कम सुशिक्षित लड़कियों को तो नहीं होना चाहिए कि वयू से वर अधिक बड़ा या अधिक योग्य होना आवश्यक है। यदि वयु अधिक सुयोग्य एवं बड़ी हो तो इसमें किसकी क्या और क्यों हानि हो सकती है? पति-पत्नी में भावनात्मक समानता एवं एकता होनी चाहिए। फिर उनमें से कोई कुछ छोटा बड़ा हो तो इसमें किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। यह मान्यता यदि पन्थ जाय तो आज की उन अण्डित सुशिक्षित कुमारी लड़कियों के विवाह की समस्या सुलझ जाय जिनके लिए उनसे अधिक आय के सुयोग्य एवं सस्ते लड़के मिल सकना कठिन हो रहा है।

## उपहास और विरोध से न डरें

समाज की अभिनव रचना के लिए हमें कितनी ही प्रचलित मान्यताओं में उलट फेर करना होगा। लोग उपहास करेंगे, नाराज होंगे, रोड़े अटकावेंगे सो तो होना ही है। लोग तो आखिर लोग ठहरे। उन्हें विवेक से नहीं, जो है सो रहे, इसी से प्रेम है। गन्दा रहने वाले को जब साफ रहने के लिए कहा जाता है तो आम तौर से वह इस बात का बुरा मानता है और जैसी भी उसकी स्थिति होती है, उसके अनुसार उस सुझाव देने वाले को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न करता है। इस मानव स्वभाव का आखिर कोई क्या करे? वह तो रहेगा ही या जो कुछ चल रहा है उसे ही ठीक माना और सहा जाय। अन्यथा यदि सुधारना ठीक ज़ंचता हो तो इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं कि लोगों का उपहास, तिरस्कार एवं विरोध सहने के लिए तैयार रहा जाय। लोगों को समझ आती तो है पर आती तब है जब कि अपनी मूर्खता में जो कमी रह गई थी, उसे भी पूरा कर लेते हैं।

## विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

९३

ईसामसीह की मान्यताओं का उस जमाने में हर किसी ने विरोध किया था । सारे जीवन के प्रयत्न से उन्हें कुल मिलाकर ७३ अनुयायी मिले थे । जिनमें से एक ऐसा छोटा निकला जिसने ३० रुपये पाने के लालच में अपने गुरु को पकड़ा कर फौंसी लगवा दी । पर बात सच थी इसलिए लोगों ने देर सबेर से मानी । आज एक तिहाई संसार उस ईसा के उपदेशों का अनुसरण करता है, जिसके जीवन में हर कोई उसका विरोधी नहीं । सुकरात से लेकर गांधी तक हर किसी सुधारक को लोगों के विरोध, उपहास एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है । जो इससे ढरता हो उसे सुधारक नहीं बनना चाहिए और न युग परिवर्तन जैसे महान् तथ्य की कल्पना ही करनी चाहिए । चट्टानों से टकराकर नदी की तरह बहने में जिन्हें मजा आता हो, नव निर्माण की बात सोचना और उसके लिए साहस करना उन्हीं के लिए उपयुक्त है । प्रचलित सिद्धान्तों का जन्मदाता 'रसो' और साम्यवादी सिद्धान्तों के निर्माता 'कार्लमार्क्स' अपने जीवन में सिर्फ पागल कहे जाते रहे । आज दुनियाँ के करोड़ों लोग उनकी मान्यताओं का अनुसरण कर रहे हैं । लोगों की इस प्रवृत्ति को बदला नहीं जा सकता । वे विरोध करेंगे ही । न करें तो फिर लोग नहीं रहेंगे । फिर तो उन्हें विवेकशील और दूरदर्शी कहा जाने लगेगा । लोगों को इतनी भारी चीजों का बजन उठाना कभी स्वीकार नहीं होता । वे बदलते तो हैं पर तब जब जमाना उनका साथ छोड़कर तेजी से बदलता चला जाता है । हमें अपने नव निर्माण की मान्यताओं को प्रचलित करते हुए भी इसी प्रकार की आशा रखनी चाहिए और उसके लिए आवश्यक धैर्य एवं मनोबल एकत्रित करना चाहिए ।

## दर्जा किसका बड़ा किसका छोटा ?

यह माना जाना सही नहीं है कि लड़की वाले का दर्जा छोटा और लड़के वाले का दर्जा बड़ा होता है । इसलिए लड़की वाले को विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

ही लड़के वाले के सामने गिड़गिड़ते रहना चाहिए और वे जो लिखकी दें अपमान करें उसे विनीत भाव से सहन करते रहना चाहिए । यह पद्धति न तो उचित है और न न्याय संगत । लेने वाले से देने वाले का दर्जा सदा ऊँचा रहता है । लोकाचार में यही रीति नीति देखी जाती है कि कोई किसी को कुछ अनुदान, उपहार प्रदान करे तो लेने वाले को कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस उदारता का आभार मानना पड़ता है । छोटी-छोटी सहायताएँ हम जिनसे प्राप्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं । फिर अपनी आत्मा-पुत्री को बिना कुछ लिए आजीवन सेवा सहायता के लिए प्रदान करने वालों का दान तो बहुत ही बड़ा है । जीवन का अध्यारण दूर करने वाली, अर्पणा को पूर्ण करने वाली जीवन सहचरी का कितना मूल्य हो सकता है, इसका अनुमान लगा सकना भी कठिन है । जड़ कस्तुओं की कीमत रूपये पैसे में आँकी जाती है, इतना बड़ा उपहार बिना किसी प्रतिफल की कामना किये जिसने प्रदान किया है, उसके उपकार के बदले में कृतज्ञता, बहृपन और आदर के भाव रखना तो दूर, उल्टा उन्हें छोटा समझें तथा अपमान जनक व्यवहार करें यह कहाँ की मनुष्यता है ?

देखा गया है कि वर पक्ष के लोग उचित-अनुचित मौर्गे कन्या पक्ष वालों के सामने रखते रहते हैं, और वह यदि किसी कारण के उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो रुष्ट होकर बैठ जाते हैं । हर घड़ी असाधारण सम्मान चाहते हैं । उनकी इच्छा आव भगत में राई-रत्ती भी कमी रह जाती है, तो आग बबूला होते और अपमान जनक व्यवहार करते हैं । ऐसे दृष्य घर-घर आये दिन देखने को मिलते रहते हैं । जिनमें लोग समुराल वालों के ऊपर शनि, राहू की तरह छा जाते हैं और उन्हें परेशान करते देखे गये हैं । इन अढ़गेबाजी के पीछे लोगों की यह मान्यता काम कर रही होती है कि लड़की वालों का दर्जा बहुत नीचा और लड़के वालों का बहुत ऊँचा है । लड़के वालों ने विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

उनकी कन्या स्वीकार कर बहुत बड़ा उपकार किया है । उसके बदले में अब वे अपनी राजा देकताओं जैसी पूजा कराना अपना अधिकार मान बैठे हैं । उनकी इच्छानुकूल कोई साधन नहीं जुटते तो वे इसी को अपना अपमान मान कर अशिष्ट व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं ।

### अनुपयुक्त मान्यताएँ बदलें

विचारणीय बात यह है कि क्या अनुकूल प्रकार की मान्यता उचित कहलाए जाने के योग्य है ? उत्तर नहीं मैं ही मिलेगा । उदारदानी होने से निश्चित रूप से कन्या-पञ्च के लोग अधिक सम्माननीय हैं । चाहिए तो यह कि उनके प्रति अधिक कृतज्ञता और उदार भरा विनीत व्यवहार किया जाय । इतना न बन पड़े तो यह उल्टी मति तो छोड़ ही दी जानी चाहिए कि वर पञ्च के लोगों को देवता की तरह पुजते रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है । कोई अपनी ओर से अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी की आव भगत करे यह एक दूसरी बात है, आम तौर से लड़के वालों का आदर लड़की वाले भरसक करते भी हैं । जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसमें वह कभी भी नहीं रहने देता, पर लड़के वालों का अपने लिए देव पूजा जैसी मांग करना सर्वदा अनुचित है । विवाह सम्बन्धी सभी कुरीतियों का अनौचित्य त्यागा जाना चाहिए । जबकि हम मान्यताओं का संशोधन करने चले हैं तो इस रीति नीति को भी सुधारना चाहिए कि लड़की वालों को हेय एवं अनादर की दृष्टि से देखा जाय, छोटा समझा जाय और उनके सामने अपने लिए अवांछनीय मांग रखी जाय ।

कन्या पञ्च का दर्जा ऊँचा है । यह दाता पञ्च है इसलिए न्यायतः उनके प्रति सचमुच सम्मान प्रदर्शित किया जाय । जामाता तथा उसी के समकञ्च रिस्ते के बच्चों को अपने स्वसुर के प्रति पिता जैसा ही, वरन् उससे भी कुछ अधिक सम्मान करना चाहिए । साला, बहनोई, सगे भाइयों जैसे भाव रखें और कन्या तथा वर के पिताओं को,

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

सम्बन्धियों को, सहोदर भाइयों की तरह प्रेम भाव रखना चाहिए । कोई किसी से सम्मान की मौग न करे, वरन् अयाचित् रूप से प्रदान करे । जितना आदर मिले उससे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करे और उससे कम ही शिष्टाचार करते जाने की मौग करता रहे । दोनों पश्च जब ऐसा आत्मीयता पूर्ण व्यवहार रखेंगे तभी दोनों परिवारों में सच्चा स्त्वेत्, सौजन्य बढ़ेगा और इसका प्रभाव पति-पत्नी के सद्भावों पर पड़ने से गूहस्थ जीवन की सफलता बढ़ चलेगी ।

### समृद्धों की ओर न दौड़ें

इस परिकर्तन की बेला में यह भी ध्यान रखा जाय कि अपने स्तर के लोगों में ही सम्बन्ध किये जाँय विशेषतया लड़का ढैँडते समय यह ध्यान तो रखा ही जाय कि वह अधिक समृद्ध परिवार का न हो । कारण कि समृद्धि के बाताकरण में पले हुए लड़कों के दिमाग में अपीरी की दु छाई रहती है । उनमें अहंकार, व्यसन आदि कई तरह की बुराइयाँ पाई जाती हैं । फिर इस जमाने में पैतृक समृद्धि का कोई ठिकाना नहीं । सरकार कानून मृत्युकर आदि के नाम पर लड़कियों को बाप की जायजाद में हिस्सेदार बनाकर स्थाई सम्पत्ति को छिप्र-भिप्र करने की व्यवस्था बना रही है । इसलिए समृद्ध लोगों के यहाँ मन अलाकर उनके लड़कों के भाव नहीं बढ़ाना चाहिए । इसी प्रकार जो लड़के अधिक शिक्षित हैं उन्हें उसी स्तर की लड़कियों के लिए छोड़ देना चाहिए । सामान्य शिशा, सामान्य रंग रूप एवं सामान्य परिवार की लड़की को यदि उसके अभिभावक अपनी सारी आर्थिक श्रमता नष्ट करके किसी प्रकार इन तथाकथित ऊँचे स्तर के लड़कों के साथ व्याह भी दें तो उस वेषारी को न सम्मान ही मिलता है न आराम, वरन् कठिनाई ही अधिक पड़ती है ।

आजकल नीलामी बोली बहुत बढ़ रही है । तथाकथित बड़े कहे जाने वाले लोगों के यहाँ शादी वालों की जो भीड़ लगती है, उससे विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

उनके मिजाज ऊँचे चढ़ते हैं और इस घक्का-मुक्की में वे लोग पिस जाते हैं, जिन्हें अन्तिम बोली अपने नाम समाप्त करनी पड़ती है। अच्छा हो वह व्यक्ति अपने स्तर का या अपने छोटे स्तर का लड़का दूँड़े। वास्तविक सम्पत्ति प्रतिभा या सज्जनता है। उसी स्तर पर लड़की की परख होनी चाहिए और यदि आमदनी कम है तो भी उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि प्रतिभावान लड़के छोटी स्थिति से ही आगे बढ़कर उत्तरि कर सकते हैं। जो सज्जन स्वभाव के हैं उनके साथ पत्नी गरीबी में भी अमीरी का आनन्द पा सकती है, अच्छा हो हम गरीब लड़के दूँड़े और जो पैसा विवाह में खर्च करना हो वह उनकी शिक्षा या प्रणति में लगाकर स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न करें। इसमें उदारता भी है और पैसे का सटुपयोग भी।

### रंग रूप नहीं गुण कर्म

आजकल लड़की और लड़कों के रंग-रूप पर बहुत ध्यान दिया जाता रहा है। विशेषतया लड़कियों की पसंदगी उनके रंग रूप के आधार पर की जाने लगी है। यह टृष्णिकोण एक सामाजिक संकट के रूप में उभरता चला जा रहा है और उसके अनेकों दुष्परिणाम हो रहे हैं तथा होने जा रहे हैं। भारत की जलवायु गरम है। यहाँ पंजाब के उत्तरी भाग तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सब प्रान्तों में मध्यम रंग के स्त्री-पुरुष पाये जाते हैं। इनमें काले रंग वालों की भी कमी नहीं। दक्षिण भारत में तो अधिकांश लोग काले होते हैं। उत्तर तथा मध्य भारत में भी इनकी संख्या कम नहीं। हमारे देश में तीन चौथाई मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें सिनेमा एक्टर की कसौटी पर रखा जाय तो उन्हें काले कलूटे ही कहना पड़ेगा। क्या पुरुष क्या स्त्रियाँ सभी पर यह बात लागू होती है। भारत योरोप नहीं है जहाँ गेरे चट्टे या नखशिख तक सुन्दर स्त्री-पुरुषों का बाहुल्य हो। ऐसी दशा में यदि रूप रंग की सुन्दरता को ही लड़कियों की पसंदगी की कसौटी बनाया

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

गया तो भारी मुसीकत खड़ी हो जायगी । बहुत थोड़ी लड़कियों उस दृष्टि से उपयुक्त बैठेंगी और शेष सब को रद्दी की टोकरी में डालने लायक ठहराया जाने लगेगा । फिर उन बेचारियों का क्या होगा ? उनका विवाह कहाँ होगा, कौन करेगा ?

“रूप के आधार पर जीवन साथी की पसंदगी” यह एक खतरनाक खेल है । इसमें गुणों की उपेक्षा और उन्हें गौण समझने की भावना छिपी हुई है । कम सूपकती किन्तु गुणकती के स्थान पर सुन्दर किन्तु गुणहीन को महत्व मिलने लगा तो यही कहा जायगा कि हमने आध्यात्मिक आदर्शों का परित्याग कर पूर्णतया भौतिक वादी दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है । आत्मा के स्थान पर चमड़ी को प्रथानता दी जाने लगी है । अभी तो यह मांग लड़कों की ओर से उठी है, वे सुन्दर गोरी, चिट्ठी लड़कियों की मौंग कर रहे हैं, फिर थोड़े ही दिनों में उसकी प्रतिक्रिया समने आवेगी । लड़कियों भी यही सीखेंगी, और जो लड़के अधिक सुन्दर होंगे उन्हें ही पसन्द किया जायगा । काले कुरुप लड़कों का विवाह होना कठिन हो जायगा ।

### खतरनाक प्रतिक्रिया का ध्यान रहे

कुछ दिन पूर्व बिहार प्रान्त का एक समाचार “युग निर्माण योजना” पत्रिका में छपा था । एक लड़का बहुत ही सूपकती लड़की से ज्ञादी करना चाहता था । स्वयं देखकर पसंद करने की ठान ठानी थी । कई लड़कियों को उसने देखा और रद्द किया, अन्त में एक सुन्दर लड़की उसे पसन्द आई और स्वीकृति देदी । सम्बन्ध पक्का करने के लिए एक बड़ी संख्या में संग्रान्त सज्जन इकट्ठे हो गये । उसी समय लड़की ने कहलवा दिया कि लड़का कुरुप है इसलिए मुझे पसन्द नहीं । उपस्थित लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वह पसंद करले, पर उसने यही कहा जब चमड़ी ही सब कुछ है, और उजली चमड़ी न होने के कारण इन महाशय द्वारा कई लड़कियों को विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

रद्द किया जा चुका है तो मैं ही चमड़ी का महत्व कम क्यों मानूँ ? और जब कि यह लड़का भूमसे कम सुन्दर है तो मैं इसके साथ विवाह क्यों करूँ ? लड़की की बात तर्क युक्त थी, उसे लड़के की शुद्धता पर धोम भी था, इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी वह सहमत न हुई और अन्त में लड़के को लजिज्जत होकर वापिस लौटना पड़ा । साथी लड़के उसे चिढ़ाया करते कि “परी बीबी छूढ़ने से पहले अपने मनहूस चेहरे को भी यार ! दर्पण में देख कर गये होते ।

इस बात का आश्चर्य और भी अधिक है कि कुरुप लड़के भी सफवती लड़कियों माँगते हैं । यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो जोड़े दिन में भारत भी योरोप हो जायगा । रूप यौवन के प्यासे, गुण कर्म को महत्व देने वाले लड़के लड़की अतृप्त फिरते रहेंगे । उन्हें अधिक रूप की प्यास अपने जोड़े के साथ संतोष पूर्वक न रहने देगी और अन्त में हमारा गृहस्थ जीवन भी योरोप वासियों की तरह नरक मय बन जायगा । सच तो यह है कि यहाँ स्थिति और भी खराब होगी, क्योंकि यहाँ तो अधिकांश लोग काले कुरुप ही पैदा होते हैं । उन्हें उपेष्ठित और तिरस्कृत श्रेणी में रखा गया तो फिर कैसी विषम विभीषिका उत्पन्न हो जायगी, उसकी कल्पना करना भी कठिन है । चन्द सफवन्तों को छोड़कर प्रत्येक कुरुप लड़के और लड़की को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा ।

### ‘रूप परी’ और सुगृहणी

पिछले दिनों लड़कियों का कुल शील परखा जाता था । पुरोहित लोग जाकर लड़की-लड़कों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आते थे, संतोषजनक सुयोग्य होने पर विवाह कर दिये जाते थे और वे विवाह सब प्रकार सफल भी होते थे । वर-वधु अपने जोड़े को विशुद्ध धर्म कर्तव्य समझकर बड़े आनन्दपूर्वक आजीवन निवाहते रहते थे । तब रूप की नहीं, साथी को निवाहने के धर्म कर्तव्य पालन

करने की दृष्टि रहती थी । अब उस आधार को बदला जा रहा है । अब जिस प्रकार वासनात्मक कामुक दृष्टिकोण अपानाया जा रहा है तो स्पष्टती रमणी की आकांक्षा भी जगी है, तदनुसार हर किसी को परी की रट लगी है । इस बदलाव को लड़कियों भी अनुभव कर रही हैं और वे उस दृष्टि में फिट बैठने के लिए स्पष्टती दिखाई पड़ने के लिए भड़कीला केश विन्यास बनाने का प्रयत्न कर रही हैं । रूप तो बदला जा नहीं सकता, जैसा ईश्वर ने दिया है, वैसा ही रहेगा, अब कुरुपता को सुन्दरता में कैसे बदला जाय ? उपाय एक ही रह जाता है, केश विन्यास । समय की मौँग को उपयुक्त बनाने के लिए इसके अतिरिक्त और बेचारी करें भी क्या ?

हमें उचित परिवर्तनों का ही समर्थन करना चाहिए । नई पीढ़ी के लड़कों का परिवर्तन हर दृष्टि से खतरनाक है । यह उनकी दूषित दृष्टि का परिचायक है । विद्यावती, गुणवती, शालीन लड़की ढूँढ़ने की बात समझ में आती है, पर स्पष्टती ढूँढ़ना और सकल सूरत के आधार पर पसन्दगी लिर्धारित करना ऐसा दृष्टिकोण है, जिसके कारण उनका विवाह कभी भी असफल सिद्ध हो सकता है । घन को चंचल बताया गया है पर रूप उससे भी अधिक चंचल है । फिर गृहस्थी के काम धन्यों में फँसी हुई दो-तीन बच्चों की मौं तीस क्व तक पहुँचते-पहुँचते रूप यौवन खो बैठती है । तब यह लड़के उहनें ना पसन्द कर सकते हैं और दूसरी नई खोज आरम्भ कर सकते हैं । भोग वादी दृष्टिकोण अपनाकर हमने जीवन की, समाज की हर समस्या को उलझा दिया है । अब विवाह जैसे पवित्र आदर्श को भी उसी कीचड़ में छैसा दिया जायगा तो हमारा ईश्वर ही रक्षक है । योरोप में शिक्षा का बाहुल्य नारी की स्वतन्त्रता और सबको काम धन्य मिल सकने की सुविधा रहने से पति की औंखों से उतरी हुई उपेष्ठित नारी कम से कम अपने पौँछों पर तो कभी भी खड़ी हो सकती है । भारत में वह विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त २९

सुविधा भी नहीं है । रूप के प्यासे पति की औंखों से जब वह उतरेगी तो बेचारी क्या करेगी ? यह यहाँ के लिए एक जटिल प्रश्न है ।

## पसंदगी का सही आधार

लड़के लड़की को और लड़की लड़के को पसन्द करें तो उसमें गुण, कर्म, स्वभाव की परख की जानी चाहिए । इस दृष्टि से एक दूसरे को देखें फरखें तो भी हर्ज नहीं । पर ऐसा कहाँ होता है ? दस पाँच मिनट में ऐसा सम्भव भी नहीं । मात्र उसे देखा ही जा सकता है । फोटो भैंगवाने से लेकर नाचगान करने तक सौन्दर्य की परख ही आज कल शिक्षित वर्ग में चल पड़ी है । यह परख योड़ी देर में भी हो सकती है, यही आज होता भी है । लड़के अब मौं बापों पर विश्वास नहीं करते । वे समझते हैं कि उनकी परख पुराने ढंग की होगी, स्वस्थ और शुशील देखकर पसन्द कर लेंगे । सिनेमा की नटनियों को जिस दृष्टि से पसन्द किया जाता है वह उनके पास न होने से वे सोचते हैं कि उनकी पसंदगी पर्याप्त नहीं, यह परख हमें स्वयं ही करनी चाहिए । इस प्रकार के आश्रह जहाँ भी हों वहाँ उनके दाम्पत्य जीवन में आगे चलकर कभी भी ना पसंदगी का संकट उत्पन्न हो सकता है । इसलिए जहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा हो वहाँ उसे 'कुपात्रता' मान लेना चाहिए और अपनी लड़कियों को उस संकट में फँसने से बचाया जाना चाहिए ।

गुण को विवाह का आधार माना जायगा तो गुण बढ़ेंगे । यह प्रतिस्पर्धा उचित है, इसमें व्यक्ति और देश की भलाई है । रूप की मौंग बढ़ेगी तो ईश्वर की रचना तो बदली न जा सकेगी । औंखों को घोखा देने वाला उद्धत वेश विन्यास बढ़ेगा, जिसकी खर्चीली आदत और द्रौषित दृष्टि का किसी गृहस्थ की अर्थिक और चारित्रिक स्थिति पर बुरा प्रभाव ही पढ़ेगा । समय रहते हमें इस उद्धत दृष्टिकोण को सुधारना चाहिए और यदि संभव हो तो आदर्शवादी युवकों को इससे

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर अपनी आन्तरिक महानता का परिचय देना चाहिए। सुन्दर लड़के काली कलूटी लड़कियाँ पसन्द करें, सुशिष्टित लड़के अशिष्टित लड़कियाँ ढूँढ़ें और अमीर गरीबों के घरों में अपनी पसन्दगी ढूँढ़ें। इससे निराशों में आशा का संचार होगा और उपकृत पश्च उनकी महानता का आन्तरिक श्रद्धा के साथ आदर करेगा। जहाँ इस प्रकार की कृतज्ञता एवं श्रद्धा का समावेश हो सके वहाँ उसे किसी गृहस्थ की परिपूर्ण सफलता का सुनिश्चित आधार माना जा सकता है। आध्यात्मिक आदर्शवादी दृष्टिकोण जीवन के हर छेत्र को सफलता से परिपूर्ण कर सकता है। वह दाम्पत्य जीवन को स्वर्गीय प्रसन्नता से परिपूर्ण कर सकता है। हमें नई पीढ़ी को—विशेषतया लड़कों को यही सिखाना चाहिए कि वे रूप की प्यास, भोग की तृष्णा से बचें और साथी के उपयुक्त न होने पर उसे अपने अनुरूप बनाने की आदर्शवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करें।

यह सामान्य व्यवहार की बात है कि लड़के और लड़की अपनी स्थिति के अनुरूप जोड़ा तलाश करें। अपनी स्थिति से ऊँची जोड़ी तलाश करना अनुचित है। काले कलूटे या मध्यम वर्ग के लड़के यदि बहुत सुन्दर लड़की ढूँढ़ते हैं, कम पढ़े अधिक शिष्टित वधु प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अवांछनीय मांग है। इसी प्रकार यदि अशिष्टित और कुस्त लड़कियाँ अपने से ऊँचे गुण, कर्म स्वभाव के लड़कों की माँग करें तो यह उनका अन्याय है। सामान्य व्यवहार यह है कि दोनों पश्च समान स्तर की माँग करें और उसी से सन्तुष्ट हो जायें।

जब उच्च आदर्श का प्रश्न सामने है तो इस तरह सोचना चाहिए कि अपनी अपेक्षा दूसरे साथी को गिरी हुई स्थिति का होने पर भी स्वीकार किया जाय और अपनी विशेषता के लाभ से उसे लाभान्वित होने का अवसर दिया जाय। इससे दूसरा पश्च उस त्याग एवं उदारता से प्रभावित होकर कृतज्ञ बना रहता है, और उस त्याग के बदले में विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

दाम्पत्य जीवन में अधिक सरसता एवं सुखद स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। स्वप्नान् विद्वान् लड़के यदि कुरुप एवं अशिखित लड़की स्वीकार कर उन्हें अपनी श्रेष्ठता से लाभान्वित करें तो निश्चय ही पत्नी की अधिक श्रद्धा उन्हें प्राप्त होगी। यह एक उदार व्यक्ति ही माना जायगा। इसमें त्याग भी है और फिछड़े हुओं को ऊँचा उठाने की सद्भावना एवं सज्जनता भी है। ऐसी सज्जनता की सर्वत्र प्रशंसा की जायगी। त्याग एवं उपकार की वृत्ति को लेकर कोई कदम बढ़ाया जाय तो उससे आत्म संतोष भी मिलता है, और प्रतिक्रिया भी मंगल मय होती है।

यही बात लड़कियों के बारे में भी है। वे सुन्दर, शिखित सुयोग्य हैं तो कैसा साथी पाना उनका अधिकार है। पर यदि वे आदर्शवादिता की दृष्टि से अपनी श्रेष्ठता चरितार्थ कर सकें तो उन्हें अपनी अपेक्षा घटिया श्रेणी के पति स्वीकार करके अपनी विशेषताओं से उन्हें लाभान्वित करना चाहिए। कम स्वप्नान्, कम शिखित, कम योग्य पतियों को कितनी ही विदुषी महिलाओं ने वरण किया है और अपनी श्रेष्ठता का लाभ देकर पतियों की प्रगति में आशा जनक योगदान दिया है। आदर्शवादिता का ऐसा मार्ग अपना लेने पर उन्हें भी त्याग के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले आत्म संतोष का लाभ मिलता है, यह कृतज्ञ पति अपेक्षाकृत उनके लिए अधिक सहायक एवं सद्भावना सम्पत्र भी रहता है। इस प्रकार की उदारता जिस पश्च ने भी की होगी वह अपनी श्रेष्ठता का समुचित प्रतिफल भी प्राप्त करेगा।

विवाहों की पूर्व तैयारी इन्ही आदर्शों के अनुसार होनी चाहिए। यदि आधार सही होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। आदर्शवादी सिद्धोंतों को अपना कर जिन विवाहों का निश्चय निर्धारण किया गया होगा, वे आदर्श परिणामी कहलावेंगे और आदर्श विवाह भी कहे जायेंगे।

---

## मुद्रक: युगा निर्माण योजना प्रेस, मथुरा